// आदेश //

अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय मार्ग खण्ड़ लोक निर्माण विभाग धुमाकोट नेा पत्र संख्या– 690 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 119(534) (कोटद्वार– सतपुली–ज्वालपा–श्रीनगर) के 2–लेन में उन्नयन कार्य हेतु मलबा निस्तारण हेतु नोन फोरेस्ट लैण्ड़ (गैर वानिकी) भूमि चयनित कर Muck Dumping की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके कम में उपजिलाधिकारी सतपुली के द्वारा अपने पत्र संख्या– 178 दिनांक 21 जुलाई–2023 के द्वारा एवं तहसीलदार कोटद्वार के द्वारा अपने पत्र संख्या–335 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के 2–लेन में उन्नयन कार्य हेतु मलवा निस्तारण हेतु निम्नानुसार भूमि चयनित कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

(1) **तहसील सतपुली अन्तर्गतः–** ग्राम सूलिया पट्टी लंगूर वल्ला–3 तहसील सतपुली के नोन जेड़0ए0 खाता संख्या–9 खसरा संख्या– 2789 रक्वा 2.500 है0 भूमि जो कि श्रेणी9(3) ड. अन्तर्गत वंजर भूमि दर्ज कागजात है चयनित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई भवन, पेड, मन्दिर मस्जिद आदि धार्मिक स्थल नही है, चरागाह पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि आदि नही है। प्रस्तावित भूमि मलवा निस्तारण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

(2) **तहसील कोटद्वार अन्तर्गतः–** ग्राम रोहणी मल्ली पट्टी सीला–2 की नॉन जेड़ए0 खाता संख्या– 04 खसरा सख्या 726 रक्वा 3.856 है0 श्रेणी 9–3ख(1), ग्राम रामागॉव पट्टी सीला–5 तहसील कोटद्वार के नॉन जेड़ए0 खाता संख्या– 04 खसरा संख्या 473 रक्वा 1.768 है0 श्रेणी 9–3ड.(1), ग्राम भदाली वल्ली पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार के नॉन जेड़ए0 खाता संख्या– 08 खसरा संख्या– 218 रक्वा 0.103 तथा खसरा संख्या– 220 रक्वा 0.873 है0 श्रेणी 10(4), **ग्राम गोदी बड़ी पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार के जेड0ए0 खाता संख्या– 09 खसरा संख्या– 444 रक्वा 0.085 है0, खसरा 449 रक्वा 0.093 है0 तथा खसरा संख्या 450 रक्वा 0.113 है0, नाप भूमि** तथा ग्राम ऐता पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या 03 के खसरा संख्या 336 रक्वा 0.130 है0 श्रेणी 9–3(ड.) है चयनित भ्की गयी है। उक्त जेड0ए0 नाप भूमि का सम्बन्धित भू–स्वामी श्री सौरभ नेगी पुत्र मदन सिंह नेगी के द्वारा शपथ पत्र/अनापत्ति दी गयी है।

उक्त सम्बन्ध में जिला खान अधिकारी, पौड़ी से आख्या प्राप्त की गयी। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रा0 खान अधिकारी पौड़ी के द्वारा अपने पत्र संख्या–302 दिनांक 02.08.2023 में प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन उक्त चयनित भूमि पर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय मार्ग खण्ड़ लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को Muck Dumping की अनुमति दिये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी।

अतः उपजिलाधिकारी सतपुली/कोटद्वार एवं सहायक भूवैज्ञानिक/प्रा0 खान अधिकारी पौड़ी की उक्त आख्याओं के आधार पर अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय मार्ग खण्ड़ लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 119 (534)(कोटद्वार– सतपुली–ज्वालपा– श्रीनगर) के 2–लेन में उन्नयन कार्य के मलबा निस्तारण हेतु <u>तहसील सतपुली</u> के ग्राम सूलिया पट्टी लंगूर वल्ला–3 तहसील सतपुली के नोन जेड़0ए0 खाता संख्या–9 खसरा संख्या– 2789 रक्वा 2.500 है0 भूमि जो कि श्रेणी 9(3) ड. की बंजर भूमि है एवं <u>तहसील कोटद्वार</u> के ग्राम रोहणी मल्ली पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार की नॉन जेड़ए0 खाता संख्या– 04 खसरा सख्या 726 रक्वा 3.856 है0 श्रेणी 9–3ख(1), ग्राम रामागॉव पट्टी सीला–5 तहसील कोटद्वार के नॉन जेड़ए0 खाता संख्या– 04 खसरा संख्या 473 रक्वा 1.768 है0 श्रेणी

9–3ङ.(1), ग्राम भदाली वल्ली पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार के नॉन जेड़ए0 खाता संख्या– 08 खसरा संख्या– 218 रक्वा 0.103 तथा खसरा संख्या– 220 रक्वा 0.873 है0 श्रेणी 10(4), ग्राम गोदी बड़ी पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार के जेड0ए0 खाता संख्या– 09 खसरा संख्या– 444 रक्वा 0.085 है0, खसरा 449 रक्वा 0.093 है0 तथा खसरा संख्या 450 रक्वा 0.113 है0, नाप भूमि (संबन्धित की अनापत्ति के आधार पर) तथा ग्राम ऐता पट्टी सीला–2 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या 03 के खसरा संख्या 336 रक्वा 0.130 है0 श्रेणी 9–3(ङ.) चयनित नोन फोरेस्ट लैण्ड (गैर वानिकी) भूमि पर **Muck Dumping** की निम्न शर्तों/प्रबिन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:–

<u>शर्ते/प्रतिबन्धः–</u>

1. स्वीकृत स्थल पर डम्प मैटेरयल द्वारा किसी भी दशा में वन सम्पदा/वन/वृक्ष पातन नही किया जायेगा/नुकसान नही पहुॅचाया जायेगा।

2. उक्त चयनित स्थल पहाडी ढलानों पर अवस्थित है तथा चयनित क्षेत्रों के मक डिस्पोजल हेतु क्षेत्र की सुरक्षा एवं जनहित/समीप में अवस्थित जानमाल के सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक दशा मे जमा किये जाने वाले मक को पहाडी ढलानों पर सीढीदार ढलानों के रूप में एकत्रित किया जाना होगा।

3. चूॅकि प्रस्तावित डम्प साइड्स के लिये तहसील प्रशासन कोटद्वार एवं सतपुली की चयन आख्याओं के अनुसार कुल क्षेत्रफल 6.5 है0 नॉन फोरेस्ट भूमि चयन कर प्रस्तावित की गयी है तथापि डी0पी0आर0 के आंकडो के अनुसार अवशेष उपखनिज मात्रा 5.73 लाख घन मी0 को उक्त चयनित क्षेत्र में पहाडी ढलानों पर औसतन 9.0 मी0 ऊॅचाई तक डम्प किया जाना होगा। प्रत्येक दशा में मलबे को निचले/गदेरों में जाने से रोकन हेतु उचित क्षमता की धारक दीवारों को अनिवार्य रूप से मक डिस्पोजन साईट्स के लम्बाई में प्रत्येक स्टेप/मक से बनाये जा रहे टैरस की आधार पर बनाया जाना अनिवार्य होगा।

4. सतही जल की निकासी डम्प क्षेत्र से बाहर सुरक्षा के दृष्टिगत अन्यत्र ढलानों की ओर की जानी होगी एवं उचित जल प्रबंध व्यवस्था बनायी जानी होगी।

5. डी0पी0आर0 के आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित रा0 राजमार्ग 119 के किमी0 125 से किमी0 136 के मध्य प्रस्तावित कटिंग कार्यों द्वारा 6.74 लाख घनमी0 उपखनिज मात्रा उल्खति/कटिंग से जनित होगी तथा फिलिंग उपयोगार्थ 1.01 लाख उपखनिज मात्रा के उपयोग उपरान्त कुल 5.73 लाख घनमी0 अवशेष उपखनिज वर्तमान में प्रस्तावित डम्प क्षेत्रों में एकत्रित किया जाना होगा। प्रस्तावित डम्पिंग साईट्स मे कुल अवशेष उपखनिज मात्रा 5.73 लाख घनमी0(1.01 लाख उपखनिज मात्रा फिलिंग में उपयोग उपरान्त कुल 5.73 लाख घनमी00 अवशेष) एकत्रित किये जाने के लिये उपरोक्तानुसार सुझावति बिन्दुओं को पूर्ण किया जाना होगा।

6. उक्त उपखनिज के उपयोगार्थ होने की दशा में पृथक से उत्तराखण्ड़ उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के प्राविधानानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के उपरान्त उपयोगार्थ उपखनिज की मात्रां के सापेक्ष देय रॉयल्टी, शुल्क अग्रिम रूप में निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक एवं निर्धारित अंशदान राशि अग्रिम रूप में निर्धारित बचत खाते में जमा कराये जाने के उपरान्त उपखनिज निकासी ई0पोर्टल के माध्यम से की जानी होगी।

7. बिना सक्षम अनुमति के निर्माण कार्यों से निकले उपखनिज को स्थल पर अवैध भण्डारित/स्थल से अवैध परिवहन किये जाने की दशा में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23 के उल्लंघन के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियमावली 2021 के

प्राविधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड़ की कार्यवाही संबन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध अमल में लायी जायेगी।

8. उक्त अनुमति क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन किसी भी दशा में नही किया जायेगा, अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार संबन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्यालय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
(डॉ0 अशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।
दि0 09.08.2023

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्याः–105/30–खनन–डम्पिंग अनु0 (2022–23) पौड़ी दिनांक 16 अगस्त 2023

प्रतिलिपिः– प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन भोपालपानी देहरादून।
3– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौडी गढवाल।
5– उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड देहरादून।
6– उपजिलाधिकारी सतपुली/कोटद्वार।
7– जिला खान अधिकारी, पौड़ी।
8– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 धुमाकोट।

प्रभारी अधिकारी,
कृते, जिलाधिकारी, गढ़वाल